प्रेषक,

फैक्स / पंजीकृत

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1— समस्त अपर निदेशक (ग्रेड—2), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
2— अपर निदेशक (ग्रेड—2), पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ।
3— समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
4— समस्त संयुक्त निदेशक, डी0एफ0एस0, उ0प्र0।
5— समस्त संयुक्त निदेशक, वेटनरी गायनाक्लोजिस्ट / पैथालोजिस्ट, उ0प्र0।
6— उप निदेशक, (प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
7— प्रधानाचार्य, आदर्श प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र, बी0के0टी0, लखनऊ।
8— संयुक्त निदेशक, एनीमल न्यूट्रीशियन, पशु आहार प्रयोगशाला, लखनऊ।
9— संयुक्त निदेशक, संतति परीक्षण योजना, चकगंजरिया, लखनऊ।
10— अधीक्षक, पशुधन प्रक्षेत्र, चकगंजरिया, लखनऊ।
11— संयुक्त निदेशक, भदावरी भैस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा।
12— संयुक्त निदेशक, सघन भेड़ एवं ऊन विकास प्रायोजना, मिर्जापुर।
13— संयुक्त निदेशक, फोरेन्सिक लैब, मथुरा।
14— संयुक्त निदेशक (तरल नत्रजन), बदायूँ, पीलीभीत, बरेली, रायबरेली।
15— संयुक्त निदेशक, प्रक्षेत्र एवं पशुधन विकास, प्रधान कार्यालय।
16— संयुक्त निदेशक, कुक्कुट प्रशिक्षण केन्द्र, निबलेट—बाराबंकी (चकगंजरिया)।
17— संयुक्त निदेशक, सूकर नियंत्रण, अलीगढ़।
18— संयुक्त निदेशक, गौशाला, प्रधान कार्यालय।
19— संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण एवं प्रसार, प्रधान कार्यालय।
20— संयुक्त निदेशक, कुक्कुट रोग निदान / पोल्ट्री पैथालोजी, प्र0का0।
21— संयुक्त निदेशक, कुक्कुट रोग नियंत्रण, प्रधान कार्यालय।
22— संयुक्त निदेशक, थनैला रोग / इपीडी0 / रोग नियंत्रण / मानकीकरण, प्र0का0।
23— संयुक्त निदेशक, पशुप्रजनन / पशुविकास / नियोजन, प्रधान कार्यालय।
24— संयुक्त निदेशक, डास्प, प्रधान कार्यालय।
25— संयुक्त निदेशक, माइको, लखीमपुरखीरी।
26— समस्त उप निदेशक, प्रधान कार्यालय।
27— अध्यक्ष, गो सेवा आयोग, इन्दिरा भवन, 10वां तल, लखनऊ।
28— समस्त क्षेत्र प्रबंधक / अधीक्षक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

संख्या : 1049 / स्था01 / एक—क / 11—5 / स्थाना0 / 2016—17, दिनांक : 19/5/16

विषय : **स्थानान्तरण नीति 2016—17 के अनुसार सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग—4, उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्या—5 / 2016 / 1 / 3 / 96—का—4—2016, दिनांक 11 मई 2016 का अवलोकन करें, जिसके अन्तर्गत सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निर्गत स्थानान्तरण नीति में उल्लिखित व्यवस्था अनुसार पशु चिकित्सा सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विचार किया जाना है, जिसके लिए पशु चिकित्सा सेवा श्रेणी–1 व 2 के अधिकारियों के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर अलग–अलग सूचना तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1– समूह–क एवं ख के ऐसे अधिकारी जिन्होंने मा0न्यायालय से अपने स्थानान्तरण पर स्थगन आदेश प्राप्त कर कार्यरत हैं, की अद्यावधि स्थिति एवं मा0न्यायालय के आदेश की प्रति।

2– मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता–पिता यदि आपके अधीनस्थ कार्यरत हैं, की आख्या साक्ष्यों सहित।

3– विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक जिनके आश्रित परिवारीजन, विकलांगता से प्रभावित हों, के संबंध में सूचना साक्ष्यों सहित।

4– स्थानान्तरण नीति में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जनपद में 06 वर्ष एवं मण्डल में 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके पशु चिकित्सा सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण पर विचार किया जाना है। अतः दिनांक 31–3–2016 तक 06 वर्ष जनपद में एवं 10 वर्ष मण्डल में सेवा अवधि पूर्ण कर चुके अधिकारियों से किन्हीं पांच ऐच्छिक स्थानों का विकल्प प्राप्त कर अपनी संस्तुति सहित मूलरूप में प्रेषित करें।

भवदीय

(डा0राजेश बाबू वार्ष्णेय)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास